उत्तर प्रदेश सरकार
वन अनुभाग– 2
संख्या–3460 / 14–2–2010–343(एल) / 2001
लखनऊ : दिनांक 25 अक्टूबर, 2010

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या–10, सन् 1897) की धारा–21 के साथ पठित भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या–16, सन् 1927) की धारा–41, 42, 51 और 76 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 1978 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2010

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश इमारती लकडी और अन्य वन उपज का अभिवहन (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2010 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 1978 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रख दिये जायेगे, अर्थात:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5– विभिन्न वर्ग के पास के लिये देय फीस– नियम 15 के अधीन लिये देय स्थापित और नियम 4 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक (2) के अधीन विनिर्दिष्ट जांच चौकी या डिपो पर वन उपज और पास की दो प्रतियां (द्वितीय और तृतीय प्रति) नियम 6 के उप नियम (4) के अधीन परीक्षण के लिए और वन	5– विभिन्न वर्ग के पास के लिए देय फीस– नियम 15 के अधीन स्थापित और नियम 4 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक (दो) के अधीन विनिर्दिष्ट जांच चौकी या डिपो पर वन उपज और पास की दो प्रतियां (द्वितीय और तृतीय प्रति) नियम 6 के उप नियम (4) के अधीन परीक्षण के लिए और वन उपज पर

उपज पर निम्नलिखित दर पर संगणित अभिवहन पारा फीस का भुगतान करने के लिए प्रस्तुत की जायेगी। अनुसूची 'ग' में दिये गये प्रपत्र पर तदनुरूप रसीद दी जायेगी।

निम्नलिखित दर पर संगणित अभिवहन पारा फीस का भुगतान करने के लिए प्रस्तुत की जायेगी। अनुसूची 'ग' में दिये गये प्रपत्र पर तदनुरूप रसीद दी जायेगी।

(एक)	इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज से लदी प्रति लारी	38 रूपया प्रति टन की दर से	(एक)(क)	खैर, साल और सागौन (टीक), शीशम, चन्दन लकड़ी और लाल चन्दन से लदी प्रति लारी	200 रूपया प्रति घन मीटर की दर से
			(ख)	खैर, साल और सागौन (टीक), शीशम, चन्दन लकड़ी और लाल चन्दन से भिन्न इमारती लकड़ी से लदी प्रति लारी अथवा अन्य वन उपज	75.00 रू0 प्रति घन मीटर की दर से
(दो)	इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज से लदी पशु चालित प्रति गाड़ी	19 रूपया	(दो)(क)	खैर, साल और सागौन (टीक), शीशम, चन्दन लकड़ी और लाल सैन्डर्स से लदी पशु चालित प्रति गाड़ी	100 रूपया प्रति घन मीटर की दर से
			(ख)	खैर, साल और सागौन (टीक), शीशम, चन्दन लकड़ी और लाल सैन्डर्स से भिन्न इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज से लदी पशु चालित प्रति गाड़ी	40 रूपया प्रति घन मीटर की दर से
(तीन)	इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज से लदा प्रति ऊँट	9 रूपया	(तीन)	इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज से लदा प्रति ऊँट	9 रूपया
(चार)	इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज से लदा प्रति टट्टू	4 रूपया	(चार)	इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज से लदा प्रति टट्टू	4 रूपया
(पांच)	इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज से लदा प्रति सिर बोझ	2 रूपया	(पांच)	इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज से लदा प्रति सिर बोझ	2 रूपया

टिप्पणी:- लीसा और लीसा उत्पाद के सम्बन्ध मे उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1976 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध लागू होंगे।

टिप्पणी:- लीसा और लीसा उत्पाद के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1976 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध लागू होंगे।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर गजट नोटिफिकेशन के द्वारा अभिवहन शुल्क की दरों में संशोधन किया जा सकता है।

नियम–15 का संशोधन

3– उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–15 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
15– डिपो और उनका प्रयोजन– वन संरक्षक ऐसे स्थानों पर जहां वह उचित समझे, डिपो की स्थापना कर सकेगा जहां वन उपज निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये लाई जा सकेगी– (क) प्रारम्भिक परीक्षण या वन उपज के सदभाव पूर्वक हटाये जाने के सम्बन्ध में अनुवर्तीय चेकिंग के लिए, या (ख) उसके लिये राज्य सरकार को देय रकम के निर्धारण और ऐसी किसी रकम जो देय पायी जाती है, के संदय के लिए, या (ग) किसी विधि द्वारा अपेक्षित या इस नियमावली के अधीन किसी चिन्ह को अंकित करने के लिए।	15– डिपो और उनका प्रयोजन– वन संरक्षक ऐसे स्थानों पर जहां वह उचित समझे, डिपो की स्थापना कर सकेगा जहां वन उपज निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये लाई जा सकेगी– (क) प्रारम्भिक परीक्षण या वन उपज के सदभाव पूर्वक हटाये जाने के सम्बन्ध में अनुवर्तीय चेकिंग के लिए, या (ख) उसके लिये राज्य सरकार को देय रकम के निर्धारण और ऐसी किसी रकम जो देय पायी जाती है, के संदय के लिए, या (ग)किसी विधि द्वारा अपेक्षित या इस नियमावली के अधीन किसी चिन्ह को (घ) किसी स्थान (डिपो) जहां पर व्यापार/विपणन हेतु वन उपज एकत्रित की जाती है, उसका पंजीकरण वन उपज की वैधता की जांच के लिए।

नियम–16 का संशोधन

4– उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–16 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
16–डिपो का स्थान प्रकाशित किया जायेगा– वन संरक्षक सरकार राज पत्र में अधिसूचना द्वारा समय–समय पर और स्थानीय क्षेत्र में ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे अपनी परिक्षेत्र में स्थित डिपो का नाम और स्थान का परिज्ञान करायेगा।	16–डिपो का स्थान प्रकाशित किया जाना और उन पर उद्ग्रहित फीस– वन संरक्षक गजट में अधिसूचना द्वारा समय–समय पर और स्थानीय क्षेत्र में, ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, अपने परिक्षेत्र में स्थित डिपो का नाम और स्थान का परिज्ञान करायेगा। नियम–15 (घ) के अधीन स्थापित और पंजीकृत डिपो स्थापना और बाद में वार्षिक नवीकरण के लिये रू0 2500 (रू0 दो हजार पांच सौ) की धनराशि का भुगतान करेंगे। अनुसूची 'ग' में दिये गये प्रपत्र पर तद्नुरूप रसीद प्रदान की जायेगी।

नियम–23 का संशोधन

5– उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–23 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात –

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
23– विदेशी पास के प्रपत्रों अथवा विदेशी सम्पत्ति चिन्हों का रजिस्ट्रीकरण– वन संरक्षक नियम–21 के प्रयोजनार्थ किसी विदेशी प्रपत्र या चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसकी अधि–प्रमाणिकता के सम्बन्ध में जांच कर सकता है और यदि उसे कोई आपत्ति न हो तो वह आवेदक द्वारा 750 रू0 का भुगतान करने पर अपने कार्यालय में ऐसे प्रपत्र या चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण करेगा। ऐसा प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से रजिस्ट्रीकरण वर्ष के आगामी 31 दिसम्बर तक लागू रहेगा सिवाय विदेशी सरकारों के प्रपत्रों और चिन्हों की स्थिति में, जिनका रजिस्ट्रीकरण तब तक लागू रहेगा जब तक कि उनका उपान्तर या निरसन नये प्रपत्रों या चिन्हों द्वारा न कर दिया जाय।	23– विदेशी पास के प्रपत्रों अथवा विदेशी सम्पत्ति चिन्हों का रजिस्ट्रीकरण– वन संरक्षक नियम–21 के प्रयोजनार्थ किसी विदेशी प्रपत्र या चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसकी अधि–प्रमाणिकता के सम्बन्ध में जांच कर सकता है और यदि उसे कोई आपत्ति न हो तो वह आवेदक द्वारा 2000/– रू0 का भुगतान करने पर अपने कार्यालय में ऐसे प्रपत्र या चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण करेगा। ऐसा प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से रजिस्ट्रीकरण वर्ष के आगामी 31 दिसम्बर तक लागू रहेगा सिवाय विदेशी सरकारों के प्रपत्रों और चिन्हों की स्थिति में, जिनका रजिस्ट्रीकरण तब तक लागू रहेगा जब तक कि उनका उपान्तर या निरसन नये प्रपत्रों या चिन्हों द्वारा न कर दिया जाय।

आज्ञा से,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
वन अनुभाग– 2
संख्या–3401 / 14–2–2010–343(एल) / 2001
लखनऊ : दिनांक 30 अक्टूबर, 2010

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या–10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, सन् 1927) की धारा 51–क के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश आरामिल की स्थापना और विनियमन नियमावली, 1978 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश आरा मिल की स्थापना और विनियमन (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2010

संक्षिप्त नाम प्रारम्भ 1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आरा मिल की स्थापना और विनियमन (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2010 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 11 का संशोधन 2– उत्तर प्रदेश आरा मिल की स्थापना और विनियमन नियमावली, 1978, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–11 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
11– <u>लाइसेंस देने और नवीकरण के लिए शुल्क</u>– लाइसेंस के नवीकरण हेतु रूपये पांच हजार आरामिल की प्रति इकाई एवं पुर्नस्थापना हेतु रूपये दस हजार वार्षिक शुल्क आवेदकों / लाइसेंस धारकों द्वारा देय होगा, जो ट्रेजरी चालान के माध्यम से वन विभाग के राजस्व के रूप में प्राप्ति शीर्षक "0406–01–800–03" में जमा किया जायेगा।	11– <u>लाईसेंस देने और नवीकरण के लिए फीस</u>– लाईसेंस देने अथवा नवीकरण के लिए प्रति इकाई वार्षिक फीस निम्नानुसार आवेदकों / लाईसेंसधारियों द्वारा देय होगा:–

इकाई	वार्षिक फीस
आरा मिल	रू0 25000 / – प्रति इकाई
विनियर	रू0 25000 / – प्रति इकाई
प्लाईवुड	रू0 50000 / – प्रति इकाई
विनियर एवं प्लाईवुड	रू0 75000 / – प्रति इकाई

आवेदकों/लाईसेंसधारकों द्वारा निम्नानुस
पुनः अवस्थापन शुल्क प्रति इकाई देय होगा:-

प्रस्तावित पुनः अवस्थापना स्थल	फीस
ग्रामीण क्षेत्र	रू0 50,000/-
जिला मुख्यालय	रू0 1,00000/-
मण्डलायुक्त मुख्यालय	रू0 2,00000/-
महानगर क्षेत्र	रू0 5,00000/-

आज्ञा से,

(चंचल कुमारि तिवारी)
प्रमुख सचिव।